द्वितीय माला, खण्ड ११ — अंक १

१० फरवरी, १९५८ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation
Fumigated
Parliament Library

(खण्ड ११ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

श्री आर० के सिधवा का निधन १

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल ... १–२

दिल्ली के अध्यापकों की प्रस्तावित हड़ताल २

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित असहयोग २–३

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा-पटल पर रखा गया ... ३–८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८–९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९–११

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय ११–१३

रेलवे दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में वक्तव्य—

श्री जगजीवन राम १३–१५

दिल्ली के अध्यापकों की प्रस्तावित हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य—

डा० का० ला० श्रीमाली... ... १५–१६

दैनिक संक्षेपिका १७–२०

लोक-सभा

वाद-विवाद

(द्वितीय माला)

खण्ड ११, १९५८

(१० फरवरी से २१ फरवरी, १९५८)

सत्यमेव जयते

चतुर्थ सत्र, १९५८

(खण्ड ११ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

(द्वितीय माला, खण्ड ११– अंक १ से १०––१० फरवरी से २१ फरवरी, १९५८)

अंक १–सोमवार, १० फरवरी १९५८	**पृष्ठ**
श्री आर० के० सिधवा का निधन	१
स्थगन प्रस्ताव––	
दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	१–२
दिल्ली के अध्यापकों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल ...	२
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावितं असहयोग ...	२–३
राष्ट्रपति का अभिभाषण––सभा पटल पर रखा गया.	३–८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	८–९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९–११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय	११–१३
रेलवे दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में वक्तव्य	१३–१५
दिल्ली के अध्यापकों की प्रस्तावित हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य ...	१५–१६
दैनिक संक्षेपिका	१७–२०
अंक २– मंगलवार, ११ फरवरी, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ७ और ९ से १८	२१–४४
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ८ और १९ से ४९	४४–५७
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७५	५७–८६
श्री सोमना का निधन ...	८६–८७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८७–८९
अनुपूरक अनुदानों की मांगों सम्बन्धी वक्तव्य	८९
कार्य मंत्रणा समिति––	
सत्रहवां प्रतिवेदन	८९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
भारत-पाकिस्तान नहरी पानी का विवाद	९०
तारांकित प्रश्नों के उत्तरों में शुद्धि ...	९०
अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक––	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	९१–११८
खण्ड २ और १	११७–१८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११८
दण्ड विधि संशोधन विधेयक––	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	११८–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	१२६–३२

अंक ३—बुधवार, १२ फरवरी १९५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ५० से ५२, ९५ और ५४ से ६४ १३३—५५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ६५ से ९४ और ९६ से ९८ १५५—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या ७६ से ७९ और ८१ से १३० १६६—८८

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली पालीटेक्निक के एक विद्यार्थी द्वारा आत्म-हत्या ... ... १८८—८९
मंत्रियों द्वारा तथ्यों में कथित फेर बदल ... ... १८९—९०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९०—९१

भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० के बारे में याचिका ... १९१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
आंध्र प्रदेश से चावल का चोरी-छिपे व्यापार ... १९१

सभा का कार्य १९२

भारतीय विमान बल के एक विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य १९३

तारांकित प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि १९३
कार्य मंत्रणा समिति—
सत्रहवां प्रतिवेदन १९४
दंड विधि संशोधन विधेयक—
विचार के लिये प्रताव १९४—२३१
खण्ड २ से ४ तथा १ ... ... २१७—२८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २२८—३१

भारतीय रक्षित वल (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार के लिये प्रस्ताव ... २३१—३३

दैनिक संक्षेपिका २३४—३८

अंक ४—गुरुवार १३ फरवरी, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ९९ से १०१, १०३, १०४, १०६, १०७, १०९ से ११४ और ११६ से १२१ ... २३९—६१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १०२, १०५ और १२२ से १२८ ... ... २६१—६५
अतारांकित प्रश्न संख्या १३१ से १३८, १४० से १८३ और १८५ से २०१ २६५—९०
सभा पटल पर रखे गये पत्र ... ... २९०—९२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन २९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	पृष्ठ
दिल्ली में किरायेदारों का निष्कासन ...	२९३–९४
विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न उठाने की सूचना के बारे में	२९४–९६
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	२९६–३२५
दैनिक संक्षेपिका	३२६–३१

अंक ५–शुक्रवार, १४ फरवरी, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १४९	३३३–५६
अल्पसूचना संख्या 1	३५६–५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५० से १८२ तक	३५९–७१
अतारांकित प्रश्न संख्या २०२ से २४३	३७१–९०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३९०
राज्य सभा से सन्देश	३९०
भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ...	३९०
अविलंम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
सागर में सेना और विद्यार्थियों के बीच झगड़े का समाचार	३९०–९१
सभा का कार्य	३९१
केन्द्रीय बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित	३९२
वणिक नौवहन विधेयक पुरःस्थापित	३९२
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	३९२–४१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तेरहवां प्रतिवेदन	४१५
राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन हेतु बैंकों के कार्यों का पुनर्विलोकन करने के लिये समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	४१५–१६
पन्ना में हीरे की खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	४१६–३४
विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की जांच के सम्बन्ध में संकल्प	४३४–३७
दैनिक संक्षेपिका	४३८–४२

अंक ६–सोमवार, १७ फरवरी, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८३ से १९०, १९३ से १९६, १९८ से २०१ और २०४ से २०६	४४३–६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९१, १९२, १९७, २०२, २०३ और २०७ से २३९	४६५–७९
अतारांकित प्रश्न संख्या २४४ से २४७ तथा २४९ से ३१२ ...	४७९–५०९
स्थगन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में—	
दिल्ली पोलीटेक्निक के एक विद्यार्थी द्वारा आत्महत्या	५०

समितियों के लिये निर्वाचन--	पृष्ठ
१. भारतीय परिचर्या परिषद्, और ...	५०९
२. दिल्ली विकास प्राधिकार की मंत्रणा-परिषद्	५१०
रेलवे आय-व्ययक, १९५८-५९ उपस्थापित किया गया	५१०–२३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव--जारी	५२३–५४
एक सदस्य की रिहाई	५२६
सभा का कार्य	५४४
कार्य मंत्रणा समिति--	
अठारहवां प्रतिवेदन	५५४
दैनिक संक्षेपिका ...	५५५–५९

अंक ७–मंगलवार, १८ फरवरी, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २४१, २४२, २४४, २४५, २४८--२५५, २५७, २५९--२६१, २६५, २६६, २४०, २६६-क और २६७	५६१–८५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	५८५–८७
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २४६, २४७, २५६, २५८, २६२, २६३ और २६८ से २७९	५८७–९३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३१३ से ३१५ और ३१७ से ३५८	५९४–६०८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६०९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
रूरकेला के इस्पात कारखाने में मजदूरों की हड़ताल	६०९–१०
तारांकित प्रश्न संख्या १३५ से अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ...	६१०–११
दिल्ली पोलीटेक्निक के एक छात्र द्वारा आत्म-हत्या और अन्य विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल के बारे में वक्तव्य	६११–१५
वित्त मंत्री के पद से त्यागपत्र देने के सम्बन्ध में श्री ति० त० कृष्णमाचारी द्वारा वक्तव्य	६१५–२०
कार्य मंत्रणा समिति--	
अठारहवां प्रतिवेदन	६२०–२१
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ...	६२१–३१, ६४०–५२
भारतीय रक्षित बल (संशोधन) विधेयक--	
विचार के लिये प्रस्ताव	६३१–३८
खण्ड २ और १	६३६–३८
संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव	६३८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५७-५८	६३८–४०, ६५२–५६
दैनिक संक्षेपिका	६५७–६०

अंक ८–बुधवार, १९ फरवरी, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८५, २८८ से २९१, २९३, २९५ से २९८, ३१४, २९९, ३०१	६६१–८५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८६, २९२, २९४, ३००, ३०२ से ३१३, ३१५ से ३२१ ... ६८५–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५९ से ३९० ... ... ६९४–७११

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... ७११–१२

राज्य-सभा से सन्देश ७१२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

काश्मीर स्थित उड़ी में पांच पाकिस्तानी विध्वंसकारियों की गिरफ्तारी ... ७१२–१३

जीवन बीमा निगम के कार्यों के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७१३–४४

दैनिक संक्षेपिका ... ७४५–४८

अंक ९–गुरुवार, २० फरवरी, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२२ से ३२५, ३२७ से ३३४, ३४९, ३३५ से ३३८, ३४० और ३४१ ... ... ७४९–७३

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ३ ... ... ७७३–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२६, ३३९, ३४२ से ३४८, ३५० से ३५२ और ३५४ से ३६९ ... ... ७७५–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९२ से ४४२ ... ७८५–८०२

आसनसोल क्षेत्र में खान दुर्घटना ... ८०२–०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८०३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौदहवां प्रतिवेदन ८०३

वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम के बारे में याचिका ८०३–०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में पटेल नगर तथा उसके निकट के क्षेत्रों से जहरीली गैस का फैलना ८०४

तारांकित प्रश्न संख्या ९९८ के उत्तर की शुद्धि ८०५

जीवन बीमा निगम के मामलों के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ८०६–२९

एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण ... ८१२

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५७-५८ ... ... ८३०–३९

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के बारे में आधे घंटे की चर्चा ८३९–४४

राष्ट्रपति से सन्देश ८४४

दैनिक संक्षेपिका ८४५–४९

अंक १०–शुक्रवार, २१ फरवरी, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७२, ३७४ से ३७९, ३८१, ३८२, ३८४, ३८६ से ३८८, ३९०, ३९२ से ४०१, ४०३ और ४०२ ... ... ८५१–७५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ३७३, ३८०, ३८३, ३८६, ३६१, ४०४, ४०५ ... ८७६–७८
अतारांकित प्रश्न संख्या ४४३ से ४८१ ... ८७८–६४
सभा पटल पर रखा गया पत्र ८६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा असहयोग आन्दोलन ... ८६४–६६
जानकारी का प्रश्न ... ८६६
सभा का कार्य ... ८६७
अनर्हता निवारण विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन की उपस्थापना के लिये समय का बढ़ाया जाना ... ८६७
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १६५७-५८ ... ... ८६७–६२६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौदहवां प्रतिवेदन ६२६
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ६२६
वृद्धावस्था विवाह रोक विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ६२७
निर्धारित समय को बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ६२७
स्त्रियों के साथ छेड़-छाड़ के लिये दण्ड सम्बन्धी विधेयक—वापिस लिया गया ... ६२७–३७
दैनिक संक्षेपिका ६३८–४१

नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्नों में किसी नाम पर अंकित यह × चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्नों को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

M108LS—(SIII)—160—12-6-58—GIPF.

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंनजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)
अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)
अचमम्बा, डा० को० (विजयवाड़ा)
अचल सिंह, सेठ (आगरा)
अचिंत राम, श्री (पटियाला)
अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातिया)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)
अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)
अमजद अली, श्री (धुबरी)
अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम्)
अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)
अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)
अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम—रक्षित—अनुसूचित जातिया)
अरुमुगम्, श्री र० स० (श्री विल्लीपुत्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)
अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)
आजाद, मौलाना अबुलकलाम (गुड़गांव)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)
आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरि)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)
इमाम, श्री मोहम्मद (चितलद्रुग)
इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री इयानी (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (प्रतापगढ़)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)
उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ़्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटको, श्री लीलाधर (नौगांव)
कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)
कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)
कमल सिंह, श्री (बक्सर)
कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़-उत्तर)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानंद (कटक)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)
काले, श्रीमती अनुसूयाबाई (नागपुर)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)
किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुमारन, श्री (चिरयिन्कील)
कुम्भार, श्री बानामली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

क—(क्रमश:)

कृष्णप्पा, श्री मो० वे० (तमकुर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)
कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)
कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)
कृष्णय्या, श्री दू० बलराम (गुड़िवाडा)
केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)
केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कोडियान, श्री (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)
कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मुवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खां, श्री सादत अली (वारंगल)
खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)
खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)
खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपालराव (अकोला)
ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)
गणपति राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज, (रायबरेली)
गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)
गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गुप्त, श्री छैदालाल (हरदोई)
गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता-पूर्व)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसात)
गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)
गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)

ग—(क्रमशः)

गोहन, श्री चौखामून, (नामनिर्देशित—आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)
गौंडर, श्री षनमुघ (तिंडीवनम्)
गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)
गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)
गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घोड़ासार, श्री फतहसिंहजी (कैरा)
घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री विमल कुमार (बैरकपुर)
घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशेदपुर)
घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)
घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (बीरभूम)
चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)
चन्द्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
चावन, श्री दा० रा० (कराड़)
चांडक, श्री बी० ल० (छिन्दवाड़ा)
चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)
चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)
चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदीब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)
जीनचन्द्रन, श्री (टेल्लीचेरी)
जेधे, श्री केशवराव मारुतिराव (बारामती)
जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)

ज—(क्रमशः)

जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)
जोगेन्द्र सेन, श्री (मण्डी)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)
ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)
झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्री श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर—मध्य)
डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जल्जीभाई कोयाभाई (दोहद—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातिया)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तिरुमल राव, श्री (काकिनाडा)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़—खंडवा)
तिवारी, द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (उन्नाव)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम्)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दशरथ देव, श्री (त्रिपुरा)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगांव)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (बीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री मन मोहन (आसनसोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामधनी (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री श्रीनारायण (दरभंगा)
दासगुप्त, श्री बिभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री शंकरराव खांडेराव (कोल्हापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)
देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देव, श्री प्रताप केशरी (कालाहांडी)
देव, श्री प्र० गं० (अंगुल)
देव, श्री शंकर (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम्, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरि)
नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)
नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० रा० (कृष्णगिरि)

न—(क्रमशः)

नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोयिलाट (नामनिर्देशित-लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोविन्दराजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)
नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)
नेगी नेकराम, श्री (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़—दक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)
पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल, सुश्री मणिबेन वल्लाभाई (आनन्द)
पट्टाभिरामन, श्री (कुम्बकोणम्)
पद्मदेव, श्री (चम्बा)
पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परमार, श्री यशवन्त सिंह (महासू)
परागीलाल, श्री (सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परुलेकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)
पलनियाण्डी, श्री (पेरम्बलूर)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

प—(क्रमशः)

पांडे, श्री सरजू (रसरा)
पाई, श्री नाथ (राजापुर)
पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)
पाटिल, श्री नाना (सतारा)
पाटिल, श्री बालासाहेब (मिराज)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर—दक्षिण)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)
पादल, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास—उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरूनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बलपुजा)
पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
प्रसाद, श्री महादेव (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुलिन बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री संतोष कुमार (कूच बिहार)
बनर्जी, श्री स० म० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)
बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबनाथ सिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बागड़ी, श्री मगनलाल (होशंगाबाद)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब—(क्रमशः)

बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)
बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)
बेक, श्री इगनेस (लाहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बैरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
बोस, श्री (धनबाद)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
ब्रज नारायण ब्रजेश, पंडित (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रहम प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरंग)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवनजी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपल कान्त (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजिठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टम्)
मतीन, काजी (गिरिडीह)
मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मधुसूदन राव, श्री (महबूबाबाद)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)
मल्होत्रा, श्री ठाकुर दास (जम्मू तथा काश्मीर)
मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मसानी, श्री (रांची—पूर्व)

म—(क्रमश:)

मसुरिया दीन, श्री (फूलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)
महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (घाटल)
माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुचसूति जातियां)
मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवान दीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)
मिश्र, श्री रघुबर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तकृष्णन्, श्री मु० (वेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मरुमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मसाफिर, ज्ञानी गुरुमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० स० (काकिनाडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर—उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन कुट्टि (मुकन्दपुरम्)
मेलकोट, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुज़फ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड)

म—(क्रमशः)

मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)
मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीउद्दीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनालि)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रखमाजी, श्री (भीर)
रघुनाथ सिंहजी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुवीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोत्ता (गुण्टूर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजाराम बालकृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राज, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम)
राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)
राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)
राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)
राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)
राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
राम कृष्ण, श्री (महेन्द्रगढ़)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)
रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामम्, श्री उद्दराजू (नरसापुर)
राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)
रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चेट्टीपलयम्)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

र—(क्रमशः)

राम शंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)
राम शरण, श्री (मुरादाबाद)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामेश्वर राव, श्री (महबूबनगर)
राय, श्री खुशवक्त (खेरी)
राय, श्री बीरेन (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)
राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम्)
राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)
राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रुंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

ल

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (उदयपुर)
वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)
वर्मा, श्री राम जी (देवरिया)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व—(क्रमशः)

वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (मंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
विजय राजे, श्रीमती (छतरा)
विल्सन, श्री जान न० (मिर्जापुर)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वीरेन्द्र सिंहजी, श्री (रायपुर)
वेद कुमारी, कुमारी मोते (एलुरु)
वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश चन्द्र (जयपुर)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)
शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)
शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)
शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)
शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री तो० (कोरापट—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम्)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)
सम्पत, श्री (नामक्कल)
सरदार, श्री भोली (सहरसा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

स—(क्रमशः)

सरवई, श्री बैरावन (तंजोर)
सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)
सलाम, श्री अब्दुल (तिरुचिरापल्ली)
सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)
सहोदरा बाई, श्रीमती (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)
सालुंके, श्री बाला साहेब (खेड़)
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंह, श्री अवधेश कुमार (कटिहार)
सिंह, श्री क० ना० (शाहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगुजा)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)
सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)
सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज)
सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिदय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)
सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर—उत्तर)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्बरायन्, डा० (तिरुचेंगोड)
सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)
सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)
सूरकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)
सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

स—(क्रमशः)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्निया)
सैलकू, श्री मारदी (पश्चिम दीनाजपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सैयद महमूद, डा० (गोपालगंज)
सोनावने, श्री तप्पा (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेढ़)
सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)
सोरेन, श्री देवी (दुमका—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)
स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हजारनवीस, श्री रा० मा० (भंडारा)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)
हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)
हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत्त जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हुकम सिंह, सरदार (भटिण्डा)
हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री फ्रेंक एन्थनी
श्री मोहम्मद इमाम
श्री पट्टाभिरामन

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री शिवराम रंगो राने
श्री श्रीनारायण दास
श्री ब० स० मूर्ति
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री म० ल० द्विवेदी
श्री रघुवीर सहाय
श्री त० ब० विट्ठल राव
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
श्री सुरेन्द्र महन्ती
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री सत्य नारायण सिंह

विशेषाधिकार समिति—(क्रमश)

श्री अशोक कुमार सेन
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
डा० सुब्बारायन
श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल
श्रीमती जायबेन वजूभाई शाह
श्री ना० वाडीवा
श्री सारंगधर सिन्हा
श्री शिवराम रंगो राने
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक
श्री विमल कुमार घोष
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री हूवर हिनिटा

सभा की बैठकों स सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**
श्रीमती शकुन्तला देवी
श्री व० ना० स्वामी
श्री अय्याकण्णु
श्री राम कृष्ण
श्री कमल कृष्ण दास
श्री सूरती किस्तैया
श्री रुंगसुंग सुइसा
श्री बी० ल० चांडक
श्री क० र० आचार
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री करसनदास परमार
श्री यादव नारायण जाधव
श्री हरिश्चन्द्र शर्मा
श्री इगनेस बैक

प्राक्कलन समिति

श्री ब० गो० मेहता—**सभापति**
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
सरदार जोगेन्द्र सिंह
श्री महावीर त्यागी
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री राधा चरण शर्मा
चौधरी रणवीर सिंह

प्राक्कलन समिति—(क्रमशः)

श्री गोपालराव खेडकर
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री रा० रा० मुरारका
श्री तिरुमल राव
श्री रामेश्वर राव
श्री च० रा० नरसिंहन्
श्री अमजद अली
श्री रामनाथन् चेट्टियार
श्री अहमद मुहीउद्दीन
श्रीमती रेणुका राय
श्री उमाचरण पटनायक
श्री रघुबीर सहाय
पंडित द्वारका नाथ तिवारी
पंडित गोविन्द मालवीय
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल
श्री डोडा तिमैय्या
श्री म० ल० द्विवेदी
श्री बैरो
श्री वें० प० नायर
श्री र० के० खाडिलकर
श्री भा० कृ० गायकवाड़
श्री श्रद्धाकर सूपकार

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री मूल चन्द दुबे
श्री भक्त दर्शन
श्री चि० र० बासप्पा
श्री सुब्बया अम्बलम्
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री नवल प्रभाकर
श्री जसवन्त राज मेहता
श्री मोती लाल मालवीय
श्री कमल सिंह
श्री अटल बिहारी बाजपेयी
श्री रामजी वर्मा
श्री र० के० खाडिलकर
श्री वासुदेवन् नायर

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्रीमती उमा नेहरू
पंडित द्वारका नाथ तिवारी
श्रीमती कृष्णा मेहता
श्री अब्दुल सलाम
श्री जियालाल मंडल
श्री क० गु० वोडयार
श्री नानूभाई निच्छाभाई पटेल
श्री पेन्देकान्ति वेंकटासुब्बैया
श्री प्रताप सिंह दौलता
श्री दा० रा० चावन
श्री नाथपाई
श्री रामचन्द्र माझी
श्री अर्जुन सिंह भदौरियां

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
सरदार अमर सिंह सहगल
श्री नरेन्द्रभाई नथवानी
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री कृष्ण चन्द्र
श्री झूलन सिंह
श्री संबंदम्
श्री स० अ० अगाड़ी
श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया
श्री सुन्दर लाल
श्री ईश्वर अय्यर
श्री बाला साहेब पाटिल
श्री प्रमथ नाथ बनर्जी
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री त्रि० ना० सिंह—**सभापति**
डा० राम सुभग सिंह
श्री निवारण चन्द्र लाश्कर
श्री रंगा

लोक-लेखा समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री राधेलाल व्यास
श्री अ० चं० गुह
श्री न० रा० मुनिस्वामी
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री मुहम्मद इमाम
श्री दासप्पा
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
श्री प्रभात कार
श्री जयपाल सिंह
श्री शिवराज
श्री विजयराम राजू

राज्य-सभा

श्रीमती पुष्पलता दास
श्री पी० टी० ल्यूवा
श्री श्यामधर मिश्र
श्री आर० एम० देशमुख
श्री एम० गोविन्द रेड्डी
श्री जसवन्त सिंह
श्री जे० वी० के० वल्लभराव

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री फणि गोपाल सेन
श्री आनन्द चन्द्र जोशी
श्री हरिश्चन्द्र माथुर
श्री क० स० रामस्वामी
श्री सिंहासन सिंह
श्री जितेन्द्र नाथ लाहिरी
श्री बहादुर सिंह
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री शामराव विष्णु परुलेकर
श्री अरविन्द घोषाल
श्री मोहम्मद इमाम
डा० कृष्णस्वामी
श्री ब्रजराज सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री फ़्रैंक एन्थनी
श्री ब० गो० मेहता
श्री त्रि० ना० सिंह
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री मूलचन्द दुबे
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री श्रीपाद अमृत डांग
आचार्य कृपालानी
श्री इन्दुलाल याज्ञिक
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू
श्री प्र० के० देव
श्री भा० कृ० गायकवाड़
डा० कृष्णस्वामी
श्री मोहम्मद इमाम
श्री पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या—**सभापति**
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री रोहन लाल चतुर्वेदी
श्री माणिकलाल मगनलाल गांधी
श्री मि० सू० मूर्त्ति
श्रीमती मैमूना सुलतान
श्री कमल कृष्ण दास
श्री बैरो
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री खुशवक्त राय
श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्त सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—**सभापति**
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्त सम्बन्धी संयुक्त समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य
श्री कन्हैयालाल खादीवाला
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दुरायस्वामी गौण्डर
श्री नारायण गणेश गोरे
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री उ० मथुरमलिंग तेवर

राज्य-सभा

डा० श्रीमती सीता परमानन्द
श्री अमर नाथ अग्रवाल
श्री टी० जे० एम० विल्सन
श्री सन्तोष कुमार बसु
श्री एम० एन० गोविन्दन् नायर

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
श्री सत्य नारायण सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री पट्टाभिरामन्
श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम्
श्री राधेलाल व्यास
श्री तय्यपा हरि सोनावने
श्री शिवराम रंगो राने
डा० सुशीला नायर
श्री तंगामणि
श्री पुरुषोत्तम दास पटेल
श्री अमजद अली
श्री मसानी
श्री भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़

भारत सरकार

मंत्री-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू
शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री—मौलाना अबुल कलाम आजाद
गृह-कार्य मंत्री—श्री गोविन्द वल्लभ पन्त
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री मोरारजी देसाई
रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा
वित्त मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारी
परिवहन तथा संचार मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री
इस्पात, खान और ईंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह
निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—श्री क० च० रेड्डी
खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन
प्रतिरक्षा मंत्री—श्री, वें० कृ० कृष्ण मेनन
सिंचाई और विद्युत् मंत्री—श्री स० का० पाटिल

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर
स्वास्थ्य मंत्री—श्री द० प० करमरकर
सहकार मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख
खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय
पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना
वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो
परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री राज बहादुर
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार
उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह
सामुदायिक विकास मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे
शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली
विधि मंत्री—श्री अशोक कु० सेन
परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री हुमायूं कबीर

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया
श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली
निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा
कृषि उपमंत्री—श्री मो० वें० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुखलाल लालशंकर हाथी

उपमंत्री—(क्रमशः)

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र
वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत
शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री—डा० मनमोहन दास
रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां
वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन
गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा
प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री रघुरामैया
खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस
विधि उपमंत्री—श्री हजारनवीस

सभा सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री सादत अली खां
वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री जो० ना० हजारिका
पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री पूर्णेन्दु शेखर नास्कर
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री जी० राजगोपालन
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव—श्री ललित नारायण मिश्र
प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

लोक-सभा वाद-विवाद

खण्ड ११ दूसरी लोक-सभा के चौथे सत्र का पहला दिन अंक १

लोक-सभा

सोमवार, १० फरवरी, १९५८

लोक-सभा बारह बज कर सत्रह मिनट पर समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री आर० के० सिधवा का निधन

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचना देनी है कि श्री आर० के० सिधवा का २८ दिसम्बर, १९५७ को बम्बई में देहान्त हो गया। वह थोड़े समय ही बीमार रहे। उनकी आयु ७५ वर्ष की थी।

श्री सिधवा, भारत की संविधान सभा तथा अस्थायी संसद् सदस्य थे। वह १९५१-५२ में संघ के गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री भी थे।

मुझे विश्वास है कि सभा श्री सिधवा के परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देगी।

माननीय सदस्य शोक प्रकट करने के लिये एक मिनट तक मौन खड़े रहें।

इसके पश्चात् सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े रहे

स्थगन प्रस्ताव

दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे आज के लिये कितने ही स्थगन प्रस्तावों की पूर्वसूचनायें मिली हैं। एक श्री तंगामणि तथा श्री पाणिग्रही द्वारा दिया गया है जिसका सम्बन्ध दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा ७-२-१९५८ से की गई हड़ताल से उत्पन्न स्थिति से है। दूसरा श्री हेम बरुआ का प्रस्ताव है जो भी इसी के बारे में है यानी कर्मचारियों क संघ को बोर्ड के प्राधिकारियों द्वारा मान्यता न देने के कारण तथा बोर्ड के एक पदच्युत कर्मचारी, श्री लक्ष्मी नारायण को पुनः नियुक्त न करने के कारण दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड के कर्मचारियों को हड़ताल के लिये बाध्य होने से उत्पन्न स्थिति। मैं निश्चित रूप से ऐसे स्थान प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दूंगा जो किसी पदच्युत कर्मचारी के सम्बन्ध में प्रश्न उठाने के बारे में होगा। हम यहां इसका औचित्य देखने के लिये नहीं बैठे हैं कि किसी कर्मचारी की पदच्युति ठीक थी अथवा नहीं। हड़ताल की वर्तमान स्थिति मैं जानना चाहूंगा।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं यह बताना चाहता था कि हड़ताल की सूचना की अवधि ७ तारीख को समाप्त हो गई थी और तब से लगभग १,००० कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। भय यह है

†मूल अंग्रेजी में।

कि कहीं यह समस्त नगर में न फैल जाये। बहुत से कर्मचारी भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसीलिये मैंने सोचा कि यदि बातचीत आरम्भ न की गई और मामला निबटाया नहीं गया तो यह हड़ताल अधिक न फैल जाये और इसका असर पावर हाउस पर न पड़े।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव का कोई कारण नहीं है। इस समय स्थिति यह है कि ३,२०० कर्मचारियों में से लगभग ४०० हड़ताल पर हैं। बिजली का दिया जाना बन्द नहीं हुआ है। हमें किसी खतरे की आशंका नहीं है। हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया गया है। अन्य कारणों के अतिरिक्त, मुख्य कारण एक कर्मचारी की पुन: नियुक्ति ही है जिसको अभी आपने नियम विरुद्ध ठहरा दिया है। दूसरा कारण संघ को मान्यता देने के बारे में है। कितने ही संघ हैं और हमारी संविधि के अनुसार किसी संघ को मान्यता दिये जाने से पूर्व कुछ शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी होता है। जब हम इन बातों पर विचार कर रहे थे तभी कर्मचारियों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। जब हड़ताल समाप्त कर दी जायेगी और सामान्य स्थिति पैदा हो जायेगी तभी हमें विचार का अवसर मिलेगा और हम देखेंगे कि शिकायत करने वाले संघ को मान्यता दी जाये अथवा नहीं। इसीलिए मैं समझता हूं कि स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस मामले को सभा में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री अपना वक्तव्य दे चुके हैं। जहां तक किसी व्यक्ति का सम्बन्ध है, मैं बता चुका हूं कि यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता है। जहां तक किसी संघ को मान्यता देने अथवा न देने का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला किसी न किसी रूप में बार-बार यहां प्रस्तुत होता रहा है। सरकार ने इस सम्बन्ध में एक निश्चित नीति अपनाई है। सरकार चाहे तो अपनी नीति बदल सकती है। सभा में ऐसे अनेक अवसर आते हैं कि सरकार से अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिये आग्रह किया जा सकता है। इसलिये किसी खास संघ द्वारा मान्यता मांगने की बात स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकती। मैं इन स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

दिल्ली के अध्यापकों की प्रस्तावित हड़ताल

†**अध्यक्ष महोदय :** दिल्ली के १५,००० अध्यापकों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति के बारे में भी एक स्थगन प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय एक वक्तव्य देने वाले हैं इसलिये इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित असहयोग

†**अध्यक्ष महोदय :** एक और स्थगन प्रस्ताव है। वर्गीकरण योजना के प्रस्ताव तथा जांच समिति बनाने की मांग को सरकार द्वारा पूरा न करने के फलस्वरूप जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित असहयोग से उत्पन्न गंभीर स्थिति इस प्रस्ताव का विषय है। मेरे विचार से ऐसी बातों को स्थगन प्रस्ताव का विषय बनाना गलत है। जब तक सरकार तथा कर्मचारियों में नियोजक तथा कर्मचारी का सा सम्बन्ध है तब तक आपस में मतभेद होते ही रहेंगे और यदि इन मतभेदों पर यहां चर्चा उठाई जाने लगी तो बड़ी कठिनाई हो जायेगी। हम इनका निर्णय करेंगे तो जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मैं व्यक्तिगत मामलों को निपटाने की जिम्मेदारी सभा पर डालना नहीं चाहता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि वित्त मंत्रालय वर्गीकरण के द्वारा कर्मचारियों के वेतनक्रम आदि का पुनरीक्षण करना चाहता है जिसके कारण उनको बहुत वित्तीय हानि होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को हानि होगी तथा कुछ को हानि नहीं होगी । परन्तु क्या हम यहां यह विचार करेंगे कि क्या हानि होने वाली है ? मैंने सदस्यों को सर्वदा अवसर दिया है कि वह सरकार तथा सभा को ऐसे महत्वपूर्ण मामले बतायें जिनमें उचित कार्यवाही करना आवश्यक हो । परन्तु इन सब बातों के लिये स्थगन प्रस्ताव का लाया जाना आवश्यक नहीं है ।

मेरे विचार में इन कर्मचारियों के वेतनक्रम आदि के बारे में शायद श्री साधन गुप्त ने गत सत्र में कुछ चर्चा उठाई थी । अब भी मैं इन कर्मचारियों के वेतनक्रम आदि के प्रश्न पर विचार करूंगा । यदि मामला महत्वपूर्ण समझा गया तो इस पर चर्चा का समय देने की बात पर विचार करूंगा । इसके बारे में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का तरीका ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

दो तीन स्थगन प्रस्ताव और हैं । मैं उन पर विचार करूंगा और जिनको मैं अनुमति नहीं दूंगा उसकी सूचना माननीय सदस्यों को दे दूंगा । यदि किसी प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता हुई तो मैं सभा में उसे लाऊंगा ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

†**सचिव** : मैं, १० फरवरी, १९५८ को एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अभिभाषण

राष्ट्रपति : संसद् के सदस्यगण, संसद् के नये सत्र का भार संभालने के समय आपका पुनः स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना का द्वितीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है । जैसा कि आप जानते हैं इस योजना के द्वितीय वर्ष के आरम्भ से ही हमारी आर्थिक व्यवस्था पर काफी दबाव रहा है । अपने गत मई के अभिभाषण में मैंने आप से कहा था :—

> "जिन कमियों का मैंने जिक्र किया है उन्हें दूर करने का अधिक आसान तरीका यह हो सकता है कि हम निर्माण-सम्बन्धी काम को स्थगित कर दें, पर वह तरीका रचनात्मक या लाभदायक नहीं है, क्योंकि समस्या को सुलझाने का यह सच्चा या स्थायी उपाय नहीं है । हमें अधिक उत्पादन करने और निर्माण कार्य में सुधार को बनाये रखन के लिये अपने साधनों को जुटाना है और उन्हें सुरक्षित रखना है । मेरी सरकार इस समस्या से और इसके लिये आवश्यक प्रयत्न से पूर्ण रूप से अवगत है । उसे इस बात की भी चिन्ता है कि इन तात्कालिक कठिनाइयों के कारण उन्नति के मार्ग में बाधा न पड़ने पावे और जहां जैसी जरूरत हो कार्यप्रणाली में संशोधन द्वारा या योजनानुसार साधनों को जुटा कर उन कठिनाइयों पर काबू पाया जाये और किसी भी अवस्था में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और विकास की गति धीमी न होने दी जावे ।"

---

†मूल अंग्रेजी में ।

आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में मेरी सरकार ने ऐसे कड़े उपाय अपनाये हैं जो योजना-बद्ध रचनात्मक कार्यक्रम की कठिनाइयों को दूर कर सकें, जो मुद्रा-स्फीति-सम्बन्धी प्रवृतियों का नियन्त्रण कर सकें, जो विदेशी मुद्रा विनिमय की स्थिति से पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान कर सकें और जो योजना के अन्तर्गत सभी कामों को पूरा करने में सहायक हो सकें। इस दिशा में मेरी सरकार ने अभी तक जो कदम उठाये हैं उनका फल अच्छा हुआ है और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि पिछले महीनों में हमारी स्थिति में सुधार भी हुआ है। आयात कम करने के लिये और विदेशी मुद्रा का उपार्जन करने के लिये सरकार ने जो कार्यवाही की है उसके कारण विदेशी पावने के ह्रास की गति कम हो गयी है। ऋण द्वारा और कुछ योजनाओं के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था द्वारा, आवश्यक पूंजीगत सामान के लिये स्थगित अदायगी की व्यवस्था से और अत्यन्त आवश्यक कामों को छोड़ कर सभी मदों के लिये विदेशी मुद्रा के प्रयोग पर रोक लगा कर, सरकार ने स्थिति में सुधार करने का यत्न किया है और बहुत हद तक वह इसमें सफल भी हुई है। इस सम्बन्ध में मैं उन देशों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा जिनसे हमें इस सम्बन्ध में सहायता मिली है। मैं यहां सोवियत संघ, कनेडा, जर्मनी, जापान और विशेषकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जिक्र करना चाहूंगा।

उत्पादन में वृद्धि और घरेलू बचत हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है। अधिक उत्पादन से विदेशी विनिमय की हमारी आवश्यकतायें कम रहेंगी और विनिमय के उपार्जन में सहायता मिलेगी। बचत द्वारा मुद्रा स्फीति की रोकथाम होगी और हमारे आन्तरिक साधनों को बल मिलेगा। इन दोनों कामों के लिये यह आवश्यक है कि जनसाधारण इन समस्याओं को समझें और कुरबानी के लिये तैयार रहें, सतर्क रहें, मितव्ययिता को अपनावें और जनमत द्वारा समर्थन करें।

विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी और वित्तीय मामलों के बारे में मेरी सरकार ने अभी तक जो कुछ किया है उससे हमारी अर्थ-व्यवस्था के स्थायी रहने में मदद मिली है। १९५६ में और १९५७ के आरम्भ में चीजों के दाम ऊंचे चढ़ते जा रहे थे, किन्तु इस कार्यवाही के फलस्वरूप कीमतों का बढ़ना रुक ही नहीं गया बल्कि गत वर्ष के अन्तिम महीनों में उनमें कुछ कमी भी हुई, जो अभी जारी है। हमारे देनदारी के खाते के घाटे में भी काफी कमी हुई है। पिछले साल की अपेक्षा साख-सम्बन्धी स्थिति में भी बहुत कुछ सुधार हुआ है। हमारे बैंक-सम्बन्धी साधनों में वृद्धि हुई है और बैंकों द्वारा मंजूर किये गये ऋण भी अन्दाज के अन्दर रहे हैं। सट्टे की प्रवृति को दबाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक स्थिति पर कड़ी दृष्टि रखेगा।

देश के भीतर मूल्यस्तर और विदेशों में अदायगी की हमारी क्षमता से खाद्य अनाजों की उपलब्धि और उनकी कीमत का गहरा सम्बन्ध है। सूखा के कारण देश के कुछ भागों में फसलों की बरबादी हमारे लिए घोर चिन्ता का विषय है। सरकार के पास अनाज का भंडार है और आयात द्वारा इस संचय को उचित स्तर पर स्थिर रखा जायेगा। इसके साथ ही अन्न के परिवहन पर सीमित किन्तु अनिवार्य नियन्त्रण भी किया गया है। अनाज के व्यापार के लिये बैंकों द्वारा उधार दिये जाने का भी मेरी सरकार ने नियमन किया है ताकि अनुचित संग्रह न किया जा सके। सरकार ने सस्ते अनाज की दूकानों द्वारा बड़े पैमाने पर जनता में अन्न के वितरण की व्यवस्था भी की है। इन उपायों से महंगाई की प्रवृत्ति की काफी रोकथाम हुई है।

फसलों के खराब हो जाने के बावजूद, १९५६-५७ में उत्पादन अधिकतम हुआ है जो १९५३-५४ में हुआ था। कुल खाद्य उत्पादन ६ करोड़, ८७ लाख टन हुआ जो १९५५-५६ की अपेक्षा ५ प्रतिशत अधिक था। कृषि उत्पादन की अखिल भारतीय देशना के अनुसार पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष करीब ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यापारी फसलों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो कपास के उत्पादन में १८ प्रतिशत तथा गन्ने और तिलहन के उत्पादन में क्रमशः १३ और ६ प्रतिशत रही है। अनाज का

उत्पादन बढ़ाने के लिये अपूर्व प्रयास किया जा रहा है। अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति अत्यन्त आवश्यक है।

औद्योगिक उत्पादन में भी काफी सुधार हुआ है। विदेशी विनमय की कमी के कारण आयात में काटछांट का एक सुपरिणाम यह हुआ है कि इससे देश के साधनों तथा क्षमता को अधिक उपयोग और विकास का अवसर मिला। सरकारी और गैर-सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इस दिशा में प्रगति अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसी प्रकार हम अपनी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को उन्नत कर सकते हैं, और इस प्रवृति को प्रोत्साहन देना सरकार की नीति भी है। यद्यपि इस नीति की सफलता का आधार आवश्यकता है, फिर भी इसके कारण विदेशी साधनों पर हमारे उद्योग की निर्भरता कम हो सकेगी।

१९५७ में कोयले का उत्पादन ४ करोड़ ३० लाख टन हुआ, जो उत्पादन की नयी सीमा थी, जबकि १९५६ में यह उत्पादन ३ करोड़ ९० लाख टन था। बहुत-से नये क्षेत्रों में कोयले की खोज के लिये खुदाई और पूर्वेक्षण किये गये हैं और आशा की जाती है कि कुछ ही महीनों में बहुत-सी नयी खानों में काम चालू किया जा सकेगा।

अभी हाल में आसाम ऑयल कम्पनी के साथ समझौता किया गया है जिसके अनुसार रुपया कम्पनी विस्थापित की जायेगी और इसमें ३३⅓ प्रतिशत हिस्सा सरकार का होगा। इस कम्पनी का काम नाहरकटिया के कूपों से तेल का उत्पादन और वहां से तेल का परिवहन होगा। तेल की सफाई के लिये आसाम और बिहार में दो कारखाने स्थापित होंगे। तेल के लिये देश के दूसरे भागों में भी पूर्वेक्षण और ढूंढखोज की जा रही है।

भारतीय जहाजों के अविलम्ब निर्माण और विकास के लिये एक जहाज निर्माण कोष की स्थापना की गई है। इस कोष का आधार भारतीय मुद्रा होगा जिससे कि इस काम के लिये आर्थिक साधन निश्चित रूप से उपलब्ध हों। यह कोष स्थायी होगा और इसकी प्रति वर्ष मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी।

बहुमुखी नदी घाटी योजनाओं के सम्बन्ध में संतोषजनक प्रगति हो रही है। दामोदर घाटी में माइथोन बांध का उद्घाटन गत सितम्बर में हो गया था। भाखरा योजना के सम्बन्ध में कार्यक्रम के अनुसार ही नहीं बल्कि उससे बढ़ कर प्रगति हो रही है। नागार्जुन सागर में निर्माण का काम गत जुलाई मास में आरम्भ किया गया। दूसरी बहुमुखी योजनाओं पर भी संतोषजनक रूप से कार्य जारी है।

भारी उद्योगों की दिशा में काफी प्रगति हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र में एक भारी मशीन बनाने का कारखाना और कई एक अन्य योजनायें सोवियत संघ की सरकार द्वारा दी गई विशेष ऋण की सहायता से चालू की जायेंगी। लोहा ढालने का एक बड़ा कारखाना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया जायेगा। नंगल में वैज्ञानिक खाद का एक बड़ा कारखाना इंग्लैंड, फ्रांस और इटली की आर्थिक सहायता से बन रहा है। नेवेली में भी खाद का एक कारखाना बनाने की योजना है। बिजली का सामान तैयार करने के लिये एक बड़ा कारखाना ब्रिटिश सहायता से भोपाल में बनाया जायेगा। रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात के बड़े कारखानों के निर्माण की दिशा में काफी प्रगति की जा चुकी है।

मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम, जिसका उद्घाटन १९५३ में किया गया था, अब काफी आगे बढ़ चुका है और इसके कारण मलेरिया की बहुत कुछ रोक-थाम हुई है। अब हमारा ध्येय इस बीमारी का पूर्ण उन्मलन है। फाइलेरिया नियन्त्रण के कार्य में भी अच्छी प्रगति हुई है। गंदी और पुरानी बस्तियों के सुधार का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

विज्ञान और टेक्नोलोजी के क्षेत्र में हम बराबर उन्नति कर रहे हैं और हमारी राष्ट्रीय प्रयोग-शालायें औद्योगिक और राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी समस्याओं के सुलझाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। टेक्निकल जनशक्ति के साधनों के विस्तार के लिये विशेष प्रयत्न किया जा रहा है।

पिछले वर्ष में आणविक शक्ति विभाग का काफी विस्तार किया गया। दो नए रियेक्टर और कई नये यन्त्र इस समय बनाये जा रहे हैं। मौजूदा वर्ष के समाप्त होने तक आणविक शक्ति के लिये और रियेक्टरों के लिये ईंधन के रूप में उपयुक्त युरेनियम धातु का उत्पादन शुरू हो जायगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में एक या अधिक आणविक शक्ति केंद्र स्थापित करने का मेरी सरकार का विचार है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसका करीब ढाई साल पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था, पर्याप्त उन्नति की है। राज्यों की सरकारों के प्रबन्ध में मध्यम बैंक, जिन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं के रूप में चलाया जायेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिक निकट लाये जा सकें, इस के लिये कई सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

योजना आयोग केंद्र और राज्यों के लिये वार्षिक योजनायें बनाने में और उपलब्ध साधनों की दृष्टि से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आवश्यक संशोधन करने में व्यस्त है। इसके साथ ही आयोग को इस बात का ध्यान रखना है कि देश के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम को किसी प्रकार का धक्का न लगे। इस सम्बन्ध में योजना के मूल तत्वों के बारे में आयोग के प्रयत्नों के परिणाम मेरी सरकार इस सत्र में आपके सामने रखेगी।

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। सामुदायिक विकास केंद्रों की संख्या इस समय २,१५२ है जिनमें २,७६,००० ग्राम आते हैं। इन ग्रामों की जनसंख्या १५ करोड़ है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने निश्चय किया है कि प्रत्येक केन्द्र को ही आयोजन और विकास की इकाई और सब विकास विभागों की सामान्य एजेंसी माना जाय। इसलिये यह व्यवस्था की गई है कि विभागीय विकास बजटों को केन्द्र के बजट से समन्वित किया जाय। विकास केन्द्र अधिकारी को इस बजट के संचालन का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने प्रशासन के क्षेत्र में अधिक विकेन्द्रीकरण का फैसला भी किया है और यह निश्चय किया है कि ग्रामों में और जिलों म सार्वजनिक संस्थाओं को अधिक अधिकार दिये जायें। विकेन्द्रीकरण की योजना स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्यों की सरकारें ही स्वयं तैयार करेंगी। सुधरी हुई खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कृषक नेताओं की ट्रेनिंग की एक योजना चालू की गई है।

राज भाषा आयोग की सिफारिशें इस समय विचाराधीन हैं। संसद् के ३० सदस्यों की एक समिति उनका अध्ययन कर रही है। संसद् के सदस्यगण, इस सम्बन्ध में कोई भी आदेश जारी किये जाने से पहले, आपको आयोग के प्रतिवेदन पर और संसद् की समिति के विचारों पर अपना मत प्रकट करने का अवसर अविलम्ब दिया जायगा।

दिल्ली म्युनिसिपिल कारपोरेशन अधिनियम, १९५७ के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के आरम्भ में निगम स्थापित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

कपड़ा और चीनी उद्योगों के लिये त्रिदलीय वेतन बोर्ड स्थापित किये गये हैं। दूसरे बड़े उद्योगों के लिये भी यथासमय ऐसे बोर्ड स्थापित करने का मेरी सरकार का विचार है। फिलहाल कुछ चुने हुए उद्योग-धन्धों में ऐसी योजनाएं चालू की गई हैं जिनसे उद्योगों के संचालन में मजदूर अधिकाधिक भाग ले सकें। कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार किया जा रहा है और १९५२ के कर्मचारी प्राविडेंट

फन्ड अधिनियम को अब १९ उद्योगों पर लागू कर दिया गया है और इस अधिनियम के अन्तर्गत अब ६,२१५ कारखाने आ गये हैं। चन्दे की कुल रकम प्रायः १०० करोड़ रुपये जमा हो चुकी है।

नागा पहाड़ी इलाके की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। अगस्त १९५७ में कोहिमा में आयोजित नागा लोगों के सम्मेलन के नेताओं ने जो मांगें पेश की थीं उन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसके फलस्वरूप नागा पहाड़ी क्षेत्र और त्यूनसांग फ्रन्टियर डिवीजन को मिलाकर गत नवम्बर में संसद् के अधिनियम के द्वारा एक नई इकाई बना दी गई है।

१९५७ में संसद् ने ६८ विधेयकों को पारित किया और इस समय ८ विधेयक आपके विचाराधीन हैं। चालू सत्र में वाणिज्य जहाजी बेड़ा (मर्चेंट शिपिंग) व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) और वाणिज्य चिन्हों (मर्चेंडाइज मार्क) के सम्बन्ध में विधान प्रस्तुत करने का मेरी सरकार का विचार है। विभिन्न मामलों से सम्बन्धित संशोधन विधान भी आपके समक्ष रखे जायेंगे।

आगामी वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़ों का विवरण आपके समक्ष रखा जायगा।

विदेशों से हमारे सम्बन्ध बराबर मैत्रीपूर्ण बने रहे। पिछली बार जब मैंने संसद् के समक्ष अभिभाषण दिया था उस समय से अब तक गणराज्य के सम्मानित अतिथियों के रूप में इण्डोनेशिया, वियेतनाम गणराज्य और वियेतनाम प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य के राष्ट्रपतियों का, युगोस्लाव संघ प्रशासनिक परिषद् के उपराष्ट्रपति का, बर्मा, श्रीलंका, चेकोस्लोवाकिया, जापान और इंग्लैंड के प्रधान मंत्रियों का, फ्रांस और मोरक्को के विदेश मन्त्रियों का, घाना के वित्तमंत्री का, घाना और मौरिशस के शिक्षा मंत्रियों का और कई देशों से आने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करने का हमें श्रेय मिला।

गत जून के अन्त में मेरे प्रधान मंत्री ने लन्दन में होने वाले राष्ट्र-मंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने सीरिया, डेन्मार्क, फिनलैंड, नार्वे, स्वीडन, मिश्र, सूडान, जापान, बर्मा और ीलंका की भी यात्रा की। उपराष्ट्रपति ने भी चीन, मंगोलिया, वियेतनाम, कम्बोडिया, लाओस और श्रीलंका की सद्भावना यात्रा की।

यद्यपि कोई तात्कालिक संकट विद्यमान नहीं, फिर भी संसार की स्थिति संकटपूर्ण है। यह आशंका बराबर बनी है कि यदि गतिरोध और तनाव की भावना को रोका नहीं गया और विशेषकर बड़े राष्ट्रों में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नींव नहीं रखी गई, तो किसी भी समय स्थिति बिगड़ कर विश्वव्यापी संघर्ष का रूप ले सकती है।

सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा उपग्रहों का सफल प्रयोग मानव का, देश और काल की विजय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह विज्ञान की महान् उन्नति का प्रतीक है किन्तु विश्व की तनावपूर्ण स्थिति को और अन्तर-महाद्वीपीय प्रक्षेपण अस्त्रों को देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि वैज्ञानिक आविष्कार विश्वशान्ति के लिये एक नया संकट पैदा कर सकते हैं।

निश्शस ीकरण की दिशा में राष्ट्रों के प्रयत्नों में गतिरोध पैदा हो गया है। इस समस्या के सफलतापूर्ण हल के लिये यह आवश्यक है कि अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा सम्मिलित प्रयत्न किया जाय और जो भी निर्णय किये जायें उन से ये दोनों राष्ट्र सहमत हों। संयुक्त राष्ट्रों की पिछली साधारण सभा में इस दिशा में कुछ प्रगति हुई थी, किन्तु गतिरोध बराबर बना है। फिर भी साधारण सभा ने सर्वसम्मति से शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के पक्ष में एक प्रस्ताव पास किया। यह प्रस्ताव निश्शस्त्रीकरण के प्रश्न पर गतिरोध के बाद पास किया गया, इसलिये यह आशा होती है कि इस मामले पर नवीन दृष्टिकोण से फिर विचार किया जायगा।

मेरी सरकार का यह मत है कि बड़े राष्ट्रों की ऊंचे स्तर पर बातचीत, जिसमें वे ऐसे राष्ट्रों को भी साथ ले सकें, जिनके बारे में वह सहमत हों, तनाव को दूर करने में, संयुक्त राष्ट्र के १४ दिसम्बर, १९५७ के प्रस्ताव के अनुसार शान्तिपूर्ण सहिष्णुता का वातावरण पैदा करने में और निश्शस्त्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करने में, सहायक होगी।

संयुक्त राष्ट्र में मेरी सरकार बराबर तनाव दूर करने के लिये भरसक प्रयत्न करती रही है। मेरी सरकार का यह मत है कि सह-अस्तित्व और एक दूसरे के प्रति आदर की भावना द्वारा ही इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।

भारत को निश्शस्त्रीकरण आयोग का सदस्य निर्वाचित किया गया है। यह आयोग सफलतापूर्वक तभी कार्य कर सकता है जब समस्त सम्बन्धित देश इस में भाग लेने को तैयार हों। मेरी सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न करेगी।

संयुक्त राष्ट्र में और उसके बाहर भी मेरी सरकार आणविक विस्फोट पर रोक लगाने के लिये बराबर जोर देती आ रही है। इन विस्फोटों के संकट से विज्ञानवेत्ता और संसार के जनसाधारण अधिकाधिक चिन्तित होते जा रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा सोवियत संघ के सर्वोच्च अधिकारियों से निश्शस्त्रीकरण की ओर प्रथम पग के रूप में इन विस्फाटों को स्थगित करने की अपील की है। इस दिशा में मेरी सरकार अपनी कोशिश जारी रखेगी।

इंडोचाइना में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण आयोग, जिनका भारत अध्यक्ष है, कठिनाइयों के बावजूद सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और वहां शांति स्थिर रखी जा सकी है। लाओस में लाओस की सरकार और पाथेट लाओ के नेताओं के बीच समझौता एक शुभ घटना है और अब उस देश में राजनैतिक समझौते का मार्ग प्रशस्त समझना चाहिये।

मेरी सरकार ने यह खबर आश्चर्य और दुःख के साथ सुनी कि बगदाद संधि के हाल में होने वाले अधिवेशन में कुछ देशों ने आणविक शस्त्रों से सज्जित होने की मांग की। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि कोई भी बड़ा राष्ट्र इस प्रकार के दृष्टिकोण और ऐसी इच्छाओं को प्रोत्साहन नहीं देगा।

अपने बारे में मेरी सरकार इस बात को असंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर देना चाहती है कि यद्यपि हमें आज वैज्ञानिक ज्ञान और साधन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा यदि हम अपनी नासमझी में चाहें तो आणविक शस्त्र तैयार कर सकते हैं, तो भी हमारी कदापि यह इच्छा नहीं कि हम ऐसे शस्त्रों को प्राप्त करें अथवा तैयार करें अथवा उनका कभी प्रयोग करें या किसी अन्य देश द्वारा उनके प्रयोग को क्षमणीय समझें। इस क्षेत्र में हमारे प्रयत्न शान्तिपूर्ण उपयोग के लिये अणुशक्ति के उत्पादन तक ही सीमित रहेंगे।

संसद् के सदस्यगण, मैं आपके प्रयत्नों में आप सबकी सफलता की कामना करता हूं और मेरा विश्वास है कि आपके प्रयत्न हमारे लोगों को अधिक सम्पन्न और सन्तुष्ट बनाने में और विश्व में शांति तथा सहयोग का संचार करने में सहायक होंगे।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव :** श्रीमान, मैं २० दिसम्बर, १९५७ को सभा को दी गई अन्तिम सूचना के बाद निम्नलिखित सात विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं जिन्हें संसद् के सदनों ने गत सत्र में पारित किया था और जिन पर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी है :

१. केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, १९५७।
२. संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक, १९५७।

---

†**मूल अंग्रेजी में।**

३. विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५७ ।
४. सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) विधेयक, १९५७ ।
५. अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) विधेयक, १९५७ ।
६. दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक, १९५७ ।
७. भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७ ।

श्रीमान, मैं २० दिसम्बर, १९५७ को सभा को दी गई अन्तिम सूचना के बाद राज्य-सभा के सचिव द्वारा प्रमाणीकृत निम्नलिखित सत्रह विधेयकों की प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं, जिन्हें संसद् के सदनों ने गत सत्र में पारित किया था और जिन पर, राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी है :

(१) नागा पहाड़ियाँ—तुएनसांग क्षेत्र विधेयक, १९५७ ।
(२) औद्योगिक वित्त निगम संशोधन विधेयक, १९५७ ।
(३) सरकारी नौकरी (निवास विषयक अपेक्षा) विधेयक, १९५७ ।
(४) भारत का रक्षित बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७ ।
(५) पूंजी निर्गम (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९५७ ।
(६) कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक, १९५७ ।
(७) अफीम विधि (संशोधन) विधेयक, १९५७ ।
(८) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९५७ ।
(९) निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक, १९५७ ।
(१०) दिल्ली विकास विधेयक, १९५७ ।
(११) नौसेना विधेयक, १९५७ ।
(१२) डफ़रिन की काउन्टेस निधि विधेयक, १९५७ ।
(१३) अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५७ ।
(१४) नागरिकता (संशोधन) विधेयक, १९५७ ।
(१५) दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक, १९५७ ।
(१६) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक, १९५७ ।
(१७) मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक, १९५७ ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नारियल जटा उद्योग नियम में संशोधन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा २६, उप-धारा (३) के अन्तर्गत नारियल जटा उद्योग नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १२ दिसम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३९८३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ४९९/५८**]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) १ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३५१७ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (हाइड्रालिक ब्रेक फ्लुइड) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(२) दिनांक ११ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३५९९ ।

(३) दिनांक ११ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३६०० जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (रेडियो रिसीवर) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(४) दिनांक १४ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३६७९ ।

(५) दिनांक १४ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३६८० जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (हाथी दांत की चीजें) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(६) दिनांक २१ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३७४८ ।

(७) दिनांक २१ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३७४९ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (रूफिंग फेल्ट) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(८) दिनांक २३ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३७५७ ।

(९) दिनांक २३ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३७५८ जिसमें सीमा-शुल्क तथा उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (नकली रेशम) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(१०) दिनांक २६ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३७६६ ।

(११) दिनांक २६ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३७६७ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (प्लाइवुड) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(१२) दिनांक २७ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३७७१ ।

(१३) दिनांक २७ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३७७२ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (दंत मंजन) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(१४) दिनांक २७ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३७७३ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (बिजली के पंखे) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(१५) दिनांक २८ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३८३१ ।

(१६) दिनांक २८ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३८३२ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (स्टेपल फाइबर यार्न) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(१७) दिनांक २७ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३८३३ ।

(१८) दिनांक २८ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३८३४ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (प्लास्टिक का सामान) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(१९) दिनांक २९ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३८३८ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (साइकिल) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(२०) दिनांक १६ दिसम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ४००३ ।

(२१) दिनांक १६ दिसम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ४००४ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (कागज की चीजें) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(२२) दिनांक ९ जनवरी, १९५८ का एस० आर० ओ० संख्या १६४ ।

(२३) दिनांक ९ जनवरी, १९५८ का एस० आर० ओ० संख्या १६५ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (क्राउन कार्क) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल० टी० ५००/५८]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम में संशोधन

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक ३० नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३८०१ ।
(२) दिनांक ७ दिसम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३८९९ ।
(३) दिनांक ११ जनवरी, १९५८ का एस० आर० ओ० संख्या १०६ ।
(४) दिनांक २५ जनवरी, १९५८ का एस० आर० ओ० संख्या २९३ ।
(५) दिनांक २५ जनवरी, १९५८ का एस० आर० ओ० संख्या २९४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५०१/५८]

आय पर करारोपण (जाँच आयोग) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं आय पर करारोपण (जांच आयोग) अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २८ दिसम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४१०२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५०२/५८]**

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश में संशोधन

†**वैदशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खाँ)** : मैं, श्रीमती लक्ष्मी मेनन की ओर से, अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २ नवम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४५१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५०३/५८]**

अध्यक्ष द्वारा दिय गय निदशों में संशोधन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश १३ (१) में संशोधन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । दखिये संख्या एल० टी० ५०४/५८]

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

"पूर्वी पाकिस्तान में भारतीयों को पकड़ने के बारे में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये कथित वक्तव्य तथा उस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के भाषण का समाचार प्रकाशित होने के बाद से ही, जनता में इस मामले के बारे में काफ़ी अधिक चर्चा होती रही है। और इसके सम्बन्ध में वक्तव्य देने का यह अवसर पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने करांची में समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में एक वक्तव्य दिया था जिसके बारे में भारत और पाकिस्तान के समाचारपत्रों में १२ जनवरी, १९५८ को समाचार आया था। उस वक्तव्य में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार करने और उन्हें विशेष नज़रबन्दी कैम्पों में रखने की बात कही थी। करांची के, दिनांक १२ जनवरी के डान में वह वक्तव्य इस प्रकार दिया गया था :

> "उन्हें इसमें ज़रा भी शक नहीं था कि 'प्रान्त में भारती नागरिकों की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो बिना पारपत्रों या दृष्टांकों के रह रही है।' प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि 'हम उन सभी को गिरफ्तार करेंगे और उनसे कच्ची सड़कें बनवाने के लिये उनको विशेष नज़रबन्दी कैम्पों में रखेंगे'।"

स्वाभाविक ही है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य से भारतीय जनता को बड़ी चिन्ता हो गई थी। इसीलिये, हमने अपने करांची-स्थित उच्च आयुक्त को तार द्वारा कहा था कि वह पाकिस्तान सरकार से उसके प्रधान मंत्री के वक्तव्य का एक अधिकृत पाठ भेजने का अनुरोध करें। उस समय पाकिस्तान के प्रधान मंत्री विदेश-यात्रा पर गये हुए थे। पाकिस्तान के वैदेशिक-कार्य तथा राष्ट्र-मंडलीय सम्बन्ध मंत्रालय ने हमारे उच्च आयुक्त को उत्तर दिया कि उस वक्तव्य का अधिकृत पाठ सुलभ नहीं है। मंत्रालय ने साथ में यह भी कहा कि वे बातें कुछ पत्र-प्रतिनिधियों से आपसी बातचीत के दौरान में कही गई थीं और प्रधान मंत्री का अभिप्राय किसी भी विधि में परिवर्तन करने या भारत और पाकिस्तान के मौजूदा करारों में कोई परिवर्तन करने का नहीं था।

चूंकि यह स्पष्टीकरण बड़ा असंतोषप्रद था और फिर उस वक्तव्य में भारतीय नागरिकों को विशेष नज़रबन्दी कैम्पों में रखने और उनसे बेगार में कच्ची सड़कें बनवाने की धमकी भी दी गई थी इसलिये, भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के उस वक्तव्य के विरुद्ध विरोध-पत्र भेजा कि यह वक्तव्य सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के प्रतिकूल है, और उससे भारत-पाकिस्तान पारपत्र तथा दृष्टांक समझौते की शर्तों का भी उल्लंघन होता है।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने करांची लौटने पर, समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों से एक मुलाक़ात करते हुए अब अपने पहले के वक्तव्य का स्पष्टीकरण कर दिया है। करांची से निकलने वाले पत्र, डान के दिनांक ३ फरवरी के अंक में इस स्पष्टीकरण का समाचार इस प्रकार प्रकाशित किया गया है :

> 'मलिक फ़िरोज़ खां नून ने बताया कि ढाका में संसद् के गत सत्र के दौरान में विरोधी दल के एक सदस्य ने यह कहा था कि पूर्वी पाकिस्तान में दो लाख भारती नागरिक बिना पारपत्रों या किसी भी प्रकार के दृष्टांकों के रह रहे हैं।
>
> प्रधान मंत्री ने उसकी याद दिलाते हुए कहा कि "मैंने उनका उत्तर देते हुए कहा था कि यदि पारपत्रों या परमिटों के बिना कोई भी विदेशी होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जायेगा और विशेष नजरबन्दी कैम्पों में रखा जायेगा--क्योंकि उन सब को रखने के लिये हमारे पास जेलें नहीं हैं—और उनसे सड़कें भी बनवाई जायेंगी क्योंकि उनको कोई और काम देना मुश्किल होगा।"

उन्होंने आगे यह भी कहा कि "ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारियां नहीं की गई हैं, इससे स्पष्ट है कि या तो ऐसे अनधिकृत लोग थे ही नहीं, या यदि थे तो वे मेरे वक्तव्य से चौकन्ने होकर पूर्वी पाकिस्तान से भाग गये हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि "दोनों में से जो भी हुआ हो, हमें दोनों ही का स्वागत करना चाहिये।" '

मैं पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के विभिन्न वक्तव्यों के सम्बन्ध में अपना कोई मत व्यक्त नहीं करना चाहता। जहां तक कि भारत से पूर्वी पाकिस्तान में या पूर्वी पाकिस्तान से भारत में लोगों के आने-जाने का प्रश्न है, यदि उनके पास उचित आज्ञा-पत्र मौजूद हों, तो उनके आने-जाने पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है। पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारीगण द्वारा पूर्वी-पाकिस्तान—भारत की सीमा पर जो कार्यवाही हो रही है वह तस्कर-व्यापार के विरुद्ध की जा रही है। उसका मतलब यह नहीं है कि भारत और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा को लोगों के आने-जाने के लिये बन्द कर दिया जाये। भारत सरकार को इस आशय के समाचार मिले हैं कि तस्कर-व्यापार के विरुद्ध भारत-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर कार्यवाही करने वाली पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी सेना कभी-कभी भारतीय सीमा का अतिक्रमण करती है और वे लोग भारतीय राष्ट्रजनों का अपहरण करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, बलपूर्वक भारतीयों की सम्पत्ति भी हथिया लेते हैं और इस प्रकार, पूर्वी पाकिस्तान तथा भारत के बीच इस सीमा व्यापार सम्बन्धी क़रारों में एक हद तक गड़बड़ी पैदा कर देते हैं।

राज्य और केन्द्र दोनों ही सरकारों के स्तर पर, इन घटनाओं के सम्बन्ध में पाकिस्तानी अधिकारियों को लिखा जा चुका है। हमने इन घटनाओं के सम्बन्ध में एक सामान्य विरोध भी प्रदर्शित किया है और पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वह उत्तरदायी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके दण्डित करे और सीमा पर तैनात पुलिस तथा सेना को स्पष्ट रूप में अनुदेश दे कि वे भारत-पाकिस्तान करार के अनुसरण में सीमा पर व्यापार करने वालों को तंग न करें।

रेलवे दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में वक्तव्य

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: गत सत्र में अध्यक्ष महोदय के सुझाव पर मैं सहमत हो गया था कि प्रत्येक बड़ी दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया जाना चाहिये। गत सत्र से अब तक की अन्तरावधि में जो दुर्घटनायें हुई हैं उनके बारे में इस सत्र के पहले दिन ही वक्तव्य देना चाहिये। इसीलिये, मैं जनवरी मास में होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

इनमें से एक दुर्घटना उत्तर रेलवे में अम्बाला के निकट मोहरी स्टेशन पर हुई थी। उसमें संख्या ४५ अप दिल्ली—पठानकोट जनता एक्सप्रेस मोहरी स्टेशन से गुजरते समय वहां खड़ी हुई संख्या २ डी० यू० डाउन अम्बाला-दिल्ली पैसेन्जर से टकरा गई थी, जो स्टेशन की लूप लाइन पर पहले से खड़ी थी। यह टक्कर १ जनवरी, १९५८ को सुबह ४ बजकर १६ मिनट पर हुई थी। उस टक्कर के फलस्वरूप दोनों गाड़ियों के इंजिन पटरी से उतर कर उलट गये थे और दोनों इंजनों के बाद के पहले दो-दो डिब्बे चकनाचूर हो गये थे। बड़े दुःख की बात है कि उस दुर्घटना के फलस्वरूप ३६ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और बाद में तीन घायल व्यक्ति भी मृत्यु के शिकार हो गये थे—एक तो सैनिक अस्पताल में और दो अम्बाला के नागरीय अस्पताल में। ९४ और भी व्यक्तियों को चोटें आई थीं, जिनमें से ३७ की चोटें बहुत भारी थीं। विभिन्न अस्पतालों में ६८ घायल व्यक्तियों का इलाज किया जा चुका है। शेष २६ घायलों में से अभी तक १२ की चिकित्सा तो अम्बाला के सैनिक अस्पताल में, ३ की अम्बाला के नागरीय अस्पताल में और २ की रेलवे अस्पताल में की जा रही है। उनमें से ३ सहारनपुर के रेलवे अस्पताल

---

†मूल अंग्रेजी में।

में, दो दिल्ली छावनी के सैनिक अस्पताल में, ३ दिल्ली के रेलवे अस्पताल में और १ अमृतसर के वी० जे० अस्पताल में हैं। समाचार यह है कि इन सभी घायलों की दशा में संतोषजनक ढंग से सुधार हो रहा है।

इस दुर्घटना से रेलवे सम्पत्ति को जो क्षति हुई है उसका अनुमान ३,४९,३०० रुपयों का है, अर्थात् इंजनों को २,००,००० रुपये, इंजन तथा डिब्बों को १,४५,००० रुपयों, स्थायी लाइनों को ४,२०० रुपयों तथा सिगनलों तथा इन्टरलाकिंग व्यवस्था को १०० रुपये की क्षति पहुंची है।

दुर्घटना के शीघ्र ही बाद, गार्ड और स्टेशन के कर्मचारियों ने घायलों का प्राथमिक उपचार करना आरम्भ कर दिया था। प्राथमिक उपचार जानने वाले कुछ यात्रियों इत्यादि ने भी इसमें उनकी सहायता की थी। अम्बाला से छैः गैर-सरकारी डाक्टर भी लगभग छैः बजे उस स्थान पर उनकी सहायता के लिये पहुंच गये थे। अम्बाला छावनी और दिल्ली से सहायता-गाड़ियां भी भेजी गई थीं और प्राथमिक उपचार के बाद घायल व्यक्तियों को अम्बाला के नागरीय, सैनिक तथा रेलवेअ स्पतालों में ले जाया गया था। घायलों की सहायता और उनकी देखभाल के इस कार्य में अम्बाला के सैनिक अस्पतालों के कई डाक्टरों ने बड़ा काम किया था। आसपास के लोगों ने भी दुर्घटना-ग्रस्त ट्रेन के यात्रियों को अपनी ओर से गरम चाय और दूध दिया था। उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक भी अपने विभागों के कुछ प्रधानों के साथ मोटर द्वारा मोहरी स्टेशन पहुंच गये थे। रेलवे उपमंत्री और रेलवे बोर्ड के सदस्य (कर्मचारियों के विभाग) भी उसी दिन सुबह घटना-स्थल पर पहुंच गये थे। बाद में, मैं भी रेलवे बोर्ड के एक सदस्य (यातायात विभाग के) के साथ घायल व्यक्तियों को देखने अस्पतालों में गया था। अम्बाला के डिस्ट्रिक्ट जज, श्री हंसराज खन्ना को दावा आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे दुर्घटना से सम्बन्धित प्रतिकर के सभी दावों का निबटारा करेंगे।

सभा को मालूम ही है कि एक जांच आयोग इस दुर्घटना की जांच कर रहा है। उस आयोग के सभापति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति बी० एन० निगम हैं। उसमें संसद्-सदस्य श्री फीरोज़ गांधी और भारतीय रेलों के निवृत्त महाप्रबन्धक श्री जे० एन० नन्दा भी सदस्यों के रूप में सम्मिलित हैं। आयोग का प्रतिवेदन अभी तक हमें नहीं मिला है।

दूसरी दुर्घटना भी दो पैसेन्जर गाड़ियों की टक्कर की है। वह २३ जनवरी, १९५८ को रात के ९ बजकर ३७ मिनट पर दक्षिण-पूर्वी रेलवे के पूर्वी घाट पर स्थित नरसिंहपुर स्टेशन पर हुई थी। इसमें संख्या १० डाऊन हैदराबाद—हावड़ा जनता एक्सप्रेस की टक्कर संख्या ४८ अप पुरी-हैदराबद पैसेन्जर से हुई थी। पुरी-हैदराबाद पैसेन्जर नरसिंहपुर स्टेशन की मुख्य लाइन पर आ चुकी थी। इस दुर्घटना के फलस्वरूप संख्या ४८ अप पैसेन्जर के तीसरे दर्जे के स्त्रियों के डिब्बे में यात्रा करने वाली तीन महिलाओं की मृत्यु हो गई थी और २० अन्य व्यक्ति घायल हुए थे, जिनमें ४८ अप के इंजन के कर्मचारी भी थे। उनमें से ४ की चोटें बड़ी चिन्ताजनक थी। उससे रेलवे सम्पत्ति को लगभग १२,००० रुपयों की क्षति पहुंची है।

दोनों ट्रेनों के गार्डों ने नरसिंहपुर स्टेशन पर ही घायलों का प्राथमिक उपचार किया था। वहां मौजूद स्टेशन-कर्मचारियों ने उनकी सहायता की थी। उनमें से कुछ की चिकित्सा पलासा के रेलवे डाक्टरों ने वहीं पहुंचकर की थी। २० घायल व्यक्तियों में से १२ को, जिनमें से अधिक चोटों वाले ४ व्यक्ति भी थे, एम्बुलेंस गाड़ियों पर बरहामपुर अस्पताल में ले जाया गया था। बाद में, ३ को खड़गपुर अस्पताल में भेज दिया गया था। बरहामपुर में चिकित्सा पाने वाले ९ घायलों में से ७ को २७ जनवरी को छुट्टी दे दी गई है। बाकी २ की हालत में संतोषप्रद सुधार हो रहा है। खड़गपुर में चिकित्सा पाने वाले ३ घायलों की हालत भी सुधर रही है।

नरसिंहपुर का स्टेशन पूर्वी घाट के छतरपुर और जगन्नाथपुर स्टेशनों के बीच में स्थित है। वह दक्षिण-पूर्वी रेलवे की मुख्य लाइन पर है। वह 'ए' श्रेणी का स्टेशन है जिसमें इन्टरलाकिंग की व्यवस्था नहीं है और जिसके दोनों सिरों पर दो सिगनल हैं। इस स्टेशन का उद्घाटन लगभग आठ मील के एक बड़े क्षेत्र को विभाजित करने के उद्देश्य से, दो लाइनों के एक दूसरे को काटने के स्थान पर, २६ अक्तूबर, १६५७ को ही किया गया था।

कलकत्ता के रेलवे के सरकारी पर्यवेक्षक ने इस दुर्घटना की संविहित जांच की है। उन्होंने २८ जनवरी, १६५८ को उसके सम्बन्ध में अपना प्रारम्भिक प्रतिवेदन भी दे दिया है। अभी उनका अन्तिम प्रतिवेदन नहीं मिला है। सरकारी पर्यवेक्षक की अस्थायी उपपत्तियों के अनुसार, यह दुर्घटना नरसिंहपुर के सहायक स्टेशन मास्टर और प्वाइंट्समैन की गलती के कारण हुई थी। उनको मौत्तिल कर दिया गया है।

इन सभी दुर्घटनाओं से हम सबको बड़ी चिन्ता हो गई है। मैंने २८ जनवरी, १६५८ को भारतीय रेलवेज़ के आठों महा प्रबन्धकों का एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया था और उनके साथ इसके सम्बन्ध में ब्यौरेवार चर्चा की थी। मैंने इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये प्रभावी उपायों के सम्बन्ध में उनसे विचार-विमर्श किया था। अब सभी रेलवेज़ में स्टेशनों के बीच में लाइनों का अधिक बारीकी से पर्यवेक्षण करने और कारखानों में निरापदता से सम्बन्धित नियमों का पालन कराने और दुर्घटनाओं की संख्या कम से कम करने में कर्मचारियों को उनका दायित्व समझाने का विशेष रूप में प्रयास किया जा रहा है इसके लिये अतिरिक्त अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की भी नियुक्तियां की जा रही हैं। इस विषय पर दिल्ली में २६ जनवरी, १६५८ को, संचालन कार्य के प्रधानों की बैठक में भी काफ़ी ब्यौरेवार चर्चा की गई थी।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस वक्तव्य की प्रतियां परिचालित कर दी जायेंगी।

दिल्ली के अध्यापकों की प्रस्तावित हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : सभा को याद होगा कि दिल्ली राज्य अध्यापक संघ ने जुलाई, १६५७ में २० अगस्त, १६५७ से चार दिन तक "चाक रख दो" हड़ताल करने की धमकी दी थी, और मैंने उस सम्बन्ध में १३ अगस्त, १६५७ को सभा में एक वक्तव्य भी दिया था, जिसमें उनकी मांगों तथा उनके सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा दिया था। अध्यापक संघ की मांगों पर बड़ी सावधानी से विचार किया जा चुका है और जहां भी सम्भव था सरकार ने उनको मान लिया है। फिर भी, कुछ के सम्बन्ध में अभी विचार हो रहा है।

मैं संक्षेप में बता दूं कि १ फरवरी, १६५७ के सरकारी स्कूलों में केवल २३ अध्यापक ही स्थायी थे, लेकिन अब तक उनमें से २,००० अध्यापकों को स्थायी बनाया जा चुका है। यह उनकी एक मुख्य मांग थी। मेरे मंत्रालय ने तो दिल्ली प्रशासन के नाम एक निदेश भी जारी किया था कि स्थानीय निकायों के कुछ निवृत्त अध्यापकों को पुनः सेवा में रख लिया जाये जिससे कि वे अतिवयस्कता का लाभ उठा सकें।

संघ का एक प्रतिनिधि-मंडल मुझ से १२ दिसम्बर, १६५७ को मिला था और मैंने उनको सरकार के दृष्टिकोण से अवगत कराया था। मैंने उन्हें हड़ताल न करने की सलाह भी दी थी क्योंकि उनसे उनकी

†मूल अंग्रेजी में।

अध्यापन व्यवसाय की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचेगा और बच्चों की भी हानि होगी। उन्हें मंत्रालय के साथ बात करने की सलाह दी गई थी और उनके पास ऐसा एक पत्र भी भेजा गया था। खेद की बात है कि संघ ने न तो मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित किया और न ही उस पत्र का कोई उत्तर दिया है। इसके विपरीत, उन्होंने १२ फरवरी, १९५८ से हड़ताल करने का संकल्प पारित कर दिया है।

शिक्षा मंत्री भी २८ जनवरी, १९५८ को अध्यापक संघ के एक प्रतिनिधि-मंडल से मिले थे। शिक्षा मंत्री ने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी उचित मांगें मान ली जायेंगी। उन्होंने मेरा सुझाव भी दोहराया था और सलाह दी थी कि वे मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर अपने कष्टों के सम्बन्ध में चर्चा करें। शिक्षा मंत्री ने सहानुभूति पूर्ण ढंग से मांगों पर विचार करने का भी आश्वासन दिया था। उन्होंने यह भी कह दिया था कि सरकार हड़ताल की धमकी से डरकर वार्ता नहीं चलायेगी और इसलिये संघ को हड़ताल का नोटिस वापिस ले लेना चाहिये। संघ के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री से कहा था कि वे अपनी सामान्य सभा के सामने उनकी सारी बातें रखेंगे और फिर उसका निर्णय सरकार को बतायेंगे।

संघ ने दिनांक २ फरवरी, १९५८ के अपने संकल्प में हड़ताल का नोटिस वापिस लेने की असमर्थता प्रकट करने के साथ ही साथ यह भी कहा है कि सरकार के कुछ अधिकारियों ने कुछ बड़े विचित्र से वक्तव्य जारी किये हैं और उनसे अध्यापक लोग बड़े उत्तेजित हो रहे हैं। यह बात निराधार है। सरकार ने दिल्ली अध्यापकों के प्रतिनिधियों और शिक्षा मंत्री की २८ जनवरी, १९५८ की मुलाकात के बारे में कोई भी वक्तव्य समाचारपत्रों को नहीं दिया है। संघ को ऐसी सूचना भेजी जा चुकी है। उनको यह भी सूचित कर दिया गया है कि शिक्षा मंत्री ने २८ जनवरी, १९५८ को जो आश्वासन दिया था, वह उनको अब भी मान्य है। अब तो संघ को ही पहलकदमी करनी चाहिये।

साथ ही, मैं यह भी बता दूं कि मेरे मंत्रालय ने दिल्ली ही नहीं बल्कि सारे देश के अध्यापकों की दशा में और उनके भविष्य की सम्भावनाओं में सुधार करने का भरसक प्रयास किया है और कर रहा है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ११ फरवरी, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १० फरवरी, १९५८]

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१

अध्यक्ष ने श्री आर० के० सिधवा के, जो भारत की संविधान सभा और अस्थायी संसद् के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया ।

इसके पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये एक मिनट तक मौन खड़े रहे ।

स्थगन प्रस्ताव	१–३

अध्यक्ष ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की, जिनकी सूचना उनके सामने दिखाये गये सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी:—

(१) दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से उत्पन्न स्थिति ।	सूचना सर्वश्री हेम बरुआ, तंगामणि और पाणिग्रही द्वारा दी गई ।
(२) दिल्ली राज्य के अध्यापकों की प्रस्तावित हड़ताल से उत्पन्न स्थिति ।	सूचना सर्वश्री वाजपेयी और ब्रजराज सिंह द्वारा दी गई ।
(३) जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित असहयोग से उत्पन्न स्थिति ।	सूचना श्री हेम बरुआ द्वारा दी गई ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया	३–८

सचिव ने १० फरवरी, १९५८ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखी ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	८–९

(एक) सचिव ने पिछले सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और लोक-सभा को २० दिसम्बर, १९५७ को दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त निम्न विधेयक सभा पटल पर रखे :—

(१) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, १९५७ ।
(२) संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक, १९५७ ।
(३) विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५७ ।
(४) सम्पदा-शुल्क और रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) विधेयक, १९५७ ।
(५) अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) विधेयक, १९५७ ।
(६) दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक, १९५७ ।
(७) भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७ ।

विषय	पृष्ठ

(दो) सचिव ने पिछले सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और लोक-सभा को २० दिसम्बर, १९५७ को दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त निम्न विधेयकों की प्रतियां, राज्य-सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में, सभा पटल पर रखीं:—

(१) नागा पहाड़ियाँ—तुएनसांग क्षेत्र विधेयक, १९५७ ।
(२) औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, १९५७ ।
(३) सरकारी नौकरी (निवास विषयक अपेक्षा) विधेयक, १९५७ ।
(४) भारत का रक्षित बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७ ।
(५) पूंजी निर्गम (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९५७ ।
(६) कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक, १९५७ ।
(७) अफीम विधि (संशोधन) विधेयक, १९५७ ।
(८) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९५७ ।
(९) निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक, १९५७ ।
(१०) दिल्ली विकास विधेयक, १९५७ ।
(११) नौ-सेना विधेयक, १९५७ ।
(१२) डफ़रिन की काउण्टेस निधि विधेयक, १९५७ ।
(१३) अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५७ ।
(१४) नागरिकता (संशोधन) विधेयक, १९५७ ।
(१५) दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक, १९५७ ।
(१६) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक, १९५७ ।
(१७) मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक, १९५७ ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ९—११

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

१. नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत नारियल जटा उद्योग नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १२ दिसम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३९८३ की एक प्रति ।

२. समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्न लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) १ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३५१७ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (हाइड्रालिक ब्रेक फ्लुइड) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(दो) दिनांक ११ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३५९९ ।

(तीन) दिनांक ११ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३६०० जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (रेडियो रिसीवरर्स) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(चार) दिनांक १४ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३६७९ ।

(पांच) दिनांक १४ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३६८० जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (हाथी दांत की चीजें) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

विषय पृष्ठ

(छः) दिनांक २१ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३७४८ ।

(सात) दिनांक २१ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३७४९ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (रूफिंग फेल्ट) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(आठ) दिनांक २३ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३७५७ ।

(नौ) दिनांक २३ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३७५८ जिसमें सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क प्रत्याहृत (नकली रेशम) नियम, १९५७ दिये हुये हैं।

(दस) दिनांक २६ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३७६६ ।

(ग्यारह) दिनांक २६ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३७६७ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (प्लाइवुड) नियम, १९५७ दिये हुए हैं ।

(बारह) दिनांक २७ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३७७१ ।

(तेरह) दिनांक २७ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३७७२ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (दंत मंजन) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(चौदह) दिनांक २७ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३७७३ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (बिजली के पंखे) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(पन्द्रह) दिनांक २८ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३८३१ ।

(सोलह) दिनांक २८ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३८३२ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (स्टेपल फाइबर यार्न) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(सतरह) दिनांक २७ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३८३३ ।

(अठारह) दिनांक २८ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३८३४ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (प्लास्टिक का सामान) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(उन्नीस) दिनांक २९ नवम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३८३८ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (साइकिल) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(बीस) दिनांक १६ दिसम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ४००३ ।

(इक्कीस) दिनांक १६ दिसम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ४००४ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (काग़ज़ की चीज़ें) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(बाइस) दिनांक ९ जनवरी, १९५८ का एस० आर० ओ० संख्या १६४ ।

(तेईस) दिनांक ९ जनवरी, १९५८ का एस० आर० ओ० संख्या १६५ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (क्राउन कार्क) नियम, १९५७ दिये हुये हैं ।

(३) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली पांच अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(४) आय पर करारोपण (जांच आयोग) अधिनियम, १९४७ की धारा ४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २८ दिसम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४१०२ की एक प्रति ।

(५) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २ नवम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४५१ की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

(६) लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश १३ (१) में संशोधन की एक प्रति ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ११–१३

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने पूर्वी पाकिस्तान में भारतीयों को पकड़ने के बारे में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये कथित वक्तव्य तथा उस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य १३–१६

(एक) रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने १ जनवरी, १९५८ को मोहरी में दिल्ली-पठानकोट जनता एक्सप्रेस की अम्बाला-दिल्ली पैसेंजर गाड़ी से टक्कर और २३ जनवरी, १९५८ को नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर हावड़ा जनता एक्सप्रेस की पुरी-हैदराबाद पैसेंजरगाड़ी से टक्कर के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

(दो) शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने दिल्ली के अध्यापकों की प्रस्तावित हड़ताल के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

मंगलवार, ११ फरवरी, १९५८ के लिये कार्यावलि—

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक पर विचार और उसका पारित किया जाना तथा दण्ड विधि संशोधन विधेयक पर विचार करना ।

M96LS (SIII)—160—14-5-58—GIPF